ग्राम पंचायत आरठ झिकली, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत आरठ झिकली, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रदीप ठाकुर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01/04/2022 से 15/05/2023
2.	श्री भूषण कुमार	16/05/2023 से 06/12/2023
3.	श्री धनी राम	07/12/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रणजीत सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री जोगिंदर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत आरठ झिकली के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**1.40**
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में परस्पर बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	**0.84**
3.	4.4	समेकित रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियों का पाया जाना	**1.14**
4.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**17.38**

5.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.22**
6.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों रूपये के अनियमित भुगतान होना	**0.78**
7.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**9.92**
8.	8.3	इंटरनेट ब्रॉडबैंड BSNL सेवा हेतु अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित/अनुचित भुगतान का पाया जाना	**0.03**
9.	9.4	विवाह पंजीकरण शुल्क की अंकेक्षण के दौरान वसूली करना	**0.07**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत आरठ झिकली, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2024 से 02.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	03/2024	11/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 09/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 20/2024 दिनांक 26.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	136536.80	633524.00	770060.80	506254.00	263806.80
2023-24	263806.80	417708.00	681514.80	392750.00	288764.80

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1772519.63	3200505.60	4973025.23	3221097.73	1751927.50
2023-24	1751927.50	2620609.00	4372536.50	2634762.00	1737774.50

कुल योग (1+2) = 288764.80 + 1737774.50 = **2026539.30**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹20,26,539.30** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹21,66,302.30 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB दरंग	20138003132	393411.80
2	तीसरा वित्त/ 3rd SFC	SBI परौर	32242402572	16450.00
3	VKVNY, MPLAD, SDP & SDRF	SBI परौर	32705917554	441895.50
4	VKVNY, MPLAD, SDP & SDRF	SBI परौर	32705918070	0.00
5	ZP	SBI परौर	32705920179	105980.00
6	13वां वित्तायोग / 13th FC & NBA	SBI परौर	32705918897	5654.00
7	13वां वित्तायोग / 13th FC & NBA	ICICI पालमपुर	093601000417	30498.00
8	14वां वित्तायोग / 14th FC	Canera बैंक मारंडा	2065101015251	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15th FC	Canera बैंक मारंडा	2065101015570	1172276.00
10	हस्तगत शेष (स्वः स्त्रोत)			137.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			2166302.30
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक तथा रोकड़ बही शेषों में परस्पर अन्तर			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹21,66,302.30**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			**₹20,26,539.30**
	अंतर :-			**₹1,39,763.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.40 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

ANNUAL REPORT

रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹1,39,763.00** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था, बल्कि स्वः-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH	KCCB दरंग	20138003132

	STATE)		
2.	VKVNY, MPLAD, SDP & SDRF	SBI परौर	32705917554
3.	VKVNY, MPLAD, SDP & SDRF	SBI परौर	32705918070
4.	13वां वित्तायोग / 13th FC & NBA	SBI परौर	32705918897
5.	13वां वित्तायोग / 13th FC & NBA	ICICI पालमपुर	093601000417

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, VKVNY, MPLAD, SDP, SDRF, 13वां वित्तायोग और NBA (निर्मल भारत अभियान) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, VKVNY, MPLAD, SDP, SDRF, 13वां वित्तायोग और NBA (निर्मल भारत अभियान) अनुदानों का

पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में परस्पर ₹0.84 लाख का अंतर पाया जाना:-

ANNUAL REPORT

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online) दोनों माध्यम से किया जा रहा है तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें थे, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप **₹ 84,096.78** का अंतर पाया गया, जो पंचायत लेखों की सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम

स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

4.4 समेकित रोकड़ बही में राशि ₹1.14 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि सभा निधि बैंक खाता संख्या 20138003132 से कुल राशि **₹114167.00** की भुगतान प्रविष्टियाँ सभा निधि व 5वां राज्य वित्त आयोग की समेकित रोकड़ बही **पृष्ठ संख्या 61** पर दर्ज की गई थी यद्यपि बैंक पास बुक से मिलान करने पर इस प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं। रोकड़ बही में दर्ज उक्त भुगतान प्रविष्टियाँ का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वाउचर सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	NIL/05.02.2024	---	वेतन चौकीदार	21000.00
2.	46/ 05.02.2024	3045770/04.01.2024	इंटरनेट बिल	917.00
3.	47/ 05.02.2024	386/20.01.2024	लैपटॉप मुरम्मत	1800.00

4.	48/ 05.02.2024	112/ 05.02.2024	Duke Board	450.00
5.	NIL/05.02.2024	---	पदाधिकारी मानदेय	90000.00
			कुल जोड़	**₹114167.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/आरठ झिकली दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹114167.00** के भुगतान के लिए KCCB बैंक द्रंग को RTGS करने हेतु आवेदन किया गया था व RTGS आवेदन पत्र (प्रति संलग्न) पर त्रुटिपूर्वक गलत बैंक खाता संख्या **(20138003110)** अंकित कर दी गई थी जिस कारणवश उक्त भुगतान बैंक खाता संख्या **20138003110** से हो गया जबकि इस भुगतान को KCCB बैंक खाता संख्या **20138003132** से होना अपेक्षित था। गलती से हुई इस त्रुटि के बारे जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उक्त बैंक खाता संख्या **20138003110** ग्राम पंचायत परौर का है व इससे निकासी हो गई है। इस त्रुटि को सुधारने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 24.03.2024 पारित किया गया व प्रस्ताव के तहत निर्णय लिया गया कि राशि **₹114167.00** को ग्राम पंचायत परौर के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा जोकि वर्तमान अवधि तक नहीं की गई है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर सभा निधि व 5वां राज्य वित्त आयोग की समेकित रोकड़ बही की जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्यों रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्गीकृत सार रजिस्टर को आगामी वित्त वर्ष से

संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा

सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹17.38 लाख का अवरोधन

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 20/2024 दिनांक 26.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - "ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 17,37,774.50** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.22 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/आरठ झिकली दिनांक 29.07.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 32 दिनांक 29.07.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित है व पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹21,880.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ङ"** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 730.00	410	₹ 50.00	₹20,500.00	₹ 21,230.00	₹20,450.00	₹ 780.00
2023-24	₹ 780.00	430	₹ 50.00	₹ 21,500.00	₹ 22,280.00	₹ 400.00	₹ 21,880.00

उक्त तथ्यों एवं तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.78 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों रूपये के अनियमित भुगतान बारे :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/vendors) से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "W" या "X" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 11/2023 के व्यय बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर

इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - "च"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹77,880.93** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों तथा समय-2 पर जारी आदेशों, निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में की गई समस्त खनन सामग्री आपूर्ति अवैध स्रोतों से की गई प्रतीत होती है, जिसके एवज में किये गये समस्त भुगतान अनियमित हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹77,880.93** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त समस्त खनन सामग्री हेतु किये गये भुगतानों के पूर्ण विवरण सहित या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि के दौरान

अवैध स्रोतों से की गई खनन सामग्री के आपूर्ति के सन्दर्भ में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों की विभागीय स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार इनको सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अथवा असमर्थित/अनियमित भुगतानों की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹9.92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 11/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 9,92,356.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39 दिनांक 02.08.2024 द्वारा

बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा व नियम अनुसार ही विज्ञापन दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षणावधि के दौरान कृत समस्त व्यय के पूर्ण विवरण सहित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

8.3 इंटरनेट ब्रॉडबैंड BSNL सेवा हेतु अपेक्षाकृत राशि ₹0.03 लाख का अधिक/अनियमित/अनुचित भुगतान का पाया जानाः -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि वॉउचर संख्या 46 दिनांक 05.02.2024 के तहत राशि 917.00 का भुगतान सभा निधि बैंक खाता संख्या 20138003132 से जनवरी माह की इंटरनेट सेवा हेतु BSNL को किया गया था जबकि रोकड़ बही **पृष्ठ संख्या 62** पर राशि **₹15640.00** का भुगतान इंटरनेट ब्रॉडबैंड BSNL सेवा अवधि 01.01.2024 से 31.12.2024 (₹14,148.00) तक व Modem (₹1500.00) बदलने हेतु Navya Chamunda Networking को किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा

12 महीने की सेवा हेतु राशि ₹1179.00 प्रति माह की दर से ₹14,148.00 (1179.00 x 12) का भुगतान अनियमित/अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि पिछले ही माह में राशि 917.00 का भुगतान एक माह की सेवा हेतु किया गया था जिसके आधार पर 12 महीने हेतु राशि ₹11004.00 (917.00 x 12) का भुगतान अपेक्षित था जिससे स्पष्ट है कि राशि **₹3144.00** (₹14,148.00 - ₹11004.00) का अनियमित / अधिक / अनुचित भुगतान प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/आरठ झिकली दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 02.08.2024 द्वारा बताया गया कि Navya Chamunda Networking, BSNL का रजिस्टर्ड वेंडर है और इंटरनेट ब्रॉडबैंड BSNL सेवा अवधि 01.01.2024 से 31.12.2024 हेतु प्राप्त शुल्क की BSNLद्वारा जारी रसीद प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी । प्रस्तुत उत्तर तथ्य एवं आंकड़ों रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत उक्त अनियमित / अधिक /अनुचित भुगतान से संबंधित BSNL द्वारा जारी रसीद को अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये व अधिक भुगतान की गई दर को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा भुगतान की गई अनियमित / अधिक /अनुचित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विविध अनियमितताएं :-

9.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में से सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.004 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹400.00** की वसूली नहीं की गई थी। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/आरठ झिकली दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 35 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20138003132 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	श्री पिंकू सिंह	28-11-2023	26-12-2023	217425	01.08.2024	₹ 200.00
2	श्री अतुल कुमार	18-02-2024	16-03-2024	217426	01.08.2024	₹ 200.00
					कुल योग	**₹ 400.00**

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक की पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

9.4 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

ANNUAL REPORT

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹7,000.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/आरठ झिकली दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 35 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं

करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में त्रुटियों एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हेरफेर एवं धन एवं सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
2.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----

4.	लेखा खाता बही	29 (1 से 3)	07
5.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
6.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
7.	बजट प्राक्कलन	37	11
8.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
9.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	--------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/आरठ झिकली दिनांक 29.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 33 दिनांक 29.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/आरठ झिकली दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39 दिनांक 02.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही थी, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

19 OCT 2024 का0/प्र0 4712-4716

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)429/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत आरठ झिकली, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 5 (क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP ARTH JHIKLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	136536.80	633524.00	770060.80	506254.00	263806.80
2023-24	263806.80	417708.00	681514.80	392750.00	288764.80

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1772519.63	3200505.60	4973025.23	3221097.73	1751927.50
2023-24	1751927.50	2620609.00	4372536.50	2634762.00	1737774.50

Total checked
J.A.

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना
चमनी राम

(परिशिष्ट "2ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP ARTH JHIKLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3rd SFC	2022-23	15587.00	425.00	16012.00	0.00	16012.00
		2023-24	16012.00	438.00	16450.00	0.00	16450.00
2	VKVNY, MPLAD, SDP &	2022-23	565531.20	556457.30	1121988.50	665813.00	456175.50
		2023-24	456175.50	199532.00	655707.50	213812.00	441895.50
3	ZP	2022-23	100422.00	2738.00	103160.00	0.00	103160.00
		2023-24	103160.00	2820.00	105980.00	0.00	105980.00
4	13TH FC & NBA	2022-23	34082.00	1018.00	35100.00	0.00	35100.00
		2023-24	35100.00	1052.00	36152.00	0.00	36152.00
5	14 TH FC	2022-23	203282.43	3102.00	206384.43	206384.43	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	15TH FC	2022-23	853615.00	905108.00	1758723.00	617243.00	1141480.00
		2023-24	1141480.00	336172.00	1477652.00	340355.00	1137297.00
7	MGNREGA	2022-23	0.00	1731657.30	1731657.30	1731657.30	0.00
		2023-24	0.00	2080595.00	2080595.00	2080595.00	0.00

Total checked
J.A.

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना

(परिशिष्ट "ग" " पैरा संख्या "5(ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत आरठ झिकली, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176059

ग्राम पंचायत आरठ झिकली के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB दरंग	20138003132	393411.80	393411.80	288764.80
2	तीसरा वित्त/ 3rd SFC	SBI परौर	32242402572	16450.00	16450.00	16450.00
3	VKVNY, MPLAD, SDP & SDRF	SBI परौर	32705917554	441895.50	441895.50	441895.50
4		SBI परौर	32705918070	0.00		
5	ZP	SBI परौर	32705920179	105980.00	105980.00	105980.00
6	13वां वित्तायोग / 13th FC & NBA	SBI परौर	32705918897	5654.00	36152.00	36152.00
7		ICICI पालमपुर	093601000417	30498.00		
8	14वां वित्तायोग / 14th FC	Canera बैंक मारंडा	2065101015251	0.00	0.00	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15th FC	Canera बैंक मारंडा	2065101015570	1172276.00	1172276.00	1137297.00
			जोड़ (क)	2166165.30	2166165.30	2026539.30
			हस्तगत शेष (ख)	137.00	137.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2166302.30	2166302.30	2026539.30

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2166302.30
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2026539.30
अंतर :-	139763.00

Total checked
J.A.

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना

(परिशिष्ट "घ", पैरा संख्या "4.3" के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत आरठ झिकली द्वारा ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.84 लाख का अंतर

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
1	2022-23	1756084.00	2102372.30	346288.30	1614737.00	1995694.43	380957.43
2	2023-24	695095.00	957722.00	262627.00	797749.00	946917.00	149168.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	2250399.08 + 0.00 (हस्तगत नगद) = 2250399.08	2166165.30 + 137.00 (हस्तगत नगद) = 2166302.30	₹ 84,096.78

J.A.

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना

(परिशिष्ट "ड." " पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत आरठ झिकली, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176059

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 410 तथा 2023-24 में 430 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 730.00	410	₹ 50.00	₹ 20,500.00	₹ 21,230.00	₹ 20,450.00	₹ 780.00
2023-24	₹ 780.00	430	₹ 50.00	₹ 21,500.00	₹ 22,280.00	₹ 400.00	₹ 21,880.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹21,880/-** है।						

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना
चमेली राम

परिशिष्ट "च", पैरा संख्या "8.1" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत आरठ झिकली द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.78 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक		मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
	मनरेगा										
1	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	058	19.02.2022	Crusher	860	24.36	1.52	37.02	80	₹ 2,961.57
2	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	060	19.02.2022	Crusher	1100	31.15	1.52	47.35	80	₹ 3,788.08
3	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	052	19.02.2022	Crusher	520	14.73	1.52	22.38	80	₹ 1,790.68
4	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	070	19.02.2022	Crusher	600	16.99	1.52	25.83	80	₹ 2,066.23
5	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	056	19.02.2022	Crusher	500	14.16	1.52	21.52	80	₹ 1,721.86
6	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	054	19.02.2022	Crusher	500	14.16	1.52	21.52	80	₹ 1,721.86
7	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	062	19.02.2022	Crusher	560	15.86	1.52	24.11	80	₹ 1,928.45
8	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	064	19.02.2022	Crusher	560	15.86	1.52	24.11	80	₹ 1,928.45
9	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	066	19.02.2022	Crusher	560	15.86	1.52	24.11	80	₹ 1,928.45
10	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	019	18.05.2023	Crusher	1300	36.82	1.52	55.96	80	₹ 4,476.83
11	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	035	18.05.2023	Crusher	460	13.03	1.52	19.80	80	₹ 1,584.08
12	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	031	18.05.2023	Crusher	440	12.46	1.52	18.94	80	₹ 1,515.26
13	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	011	18.05.2023	Crusher	500	14.16	1.52	21.52	80	₹ 1,721.86
14	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	027	18.05.2023	Crusher	480	13.59	1.52	20.66	80	₹ 1,652.91
15	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	015	18.05.2023	Crusher	480	13.59	1.52	20.66	80	₹ 1,652.91
16	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	043	18.05.2023	Crusher	460	13.03	1.52	19.80	80	₹ 1,584.08
17	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	039	18.05.2023	Crusher	480	13.59	1.52	20.66	80	₹ 1,652.91
18	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	023	18.05.2023	Crusher	430	12.18	1.52	18.51	80	₹ 1,480.72
19	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	059	19.02.2022	Sand	430	12.18	1.62	19.73	80	₹ 1,578.14
20	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	061	19.02.2022	Sand	550	15.58	1.62	25.23	80	₹ 2,018.65
21	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	053	19.02.2022	Sand	260	7.36	1.62	11.93	80	₹ 954.24
22	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	071	19.02.2022	Sand	300	8.50	1.62	13.76	80	₹ 1,101.08
23	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	057	19.02.2022	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	₹ 917.57
24	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	055	19.02.2022	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	₹ 917.57
25	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	063	19.02.2022	Sand	280	7.93	1.62	12.84	80	₹ 1,027.60
26	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	065	19.02.2022	Sand	280	7.93	1.62	12.84	80	₹ 1,027.60
27	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	067	19.02.2022	Sand	280	7.93	1.62	12.84	80	₹ 1,027.60
28	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	018	18.05.2023	Sand	650	18.41	1.62	29.82	80	₹ 2,385.68
29	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	034	18.05.2023	Sand	230	6.51	1.62	10.55	80	₹ 844.08
30	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	030	18.05.2023	Sand	220	6.23	1.62	10.09	80	₹ 807.41
31	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	010	18.05.2023	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	₹ 917.57
32	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	026	18.05.2023	Sand	240	6.80	1.62	11.01	80	₹ 880.76
33	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	014	18.05.2023	Sand	240	6.80	1.62	11.01	80	₹ 880.76
34	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	042	18.05.2023	Sand	230	6.51	1.62	10.55	80	₹ 844.08
35	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	038	18.05.2023	Sand	240	6.80	1.62	11.01	80	₹ 880.76
36	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	022	18.05.2023	Sand	215	6.09	1.62	9.86	80	₹ 789.00
	VKVNY										
37	Narender Thakur	13/26.05.2022	22	04.03.2022	Crusher	250	7.08	1.52	10.76	80	₹ 860.93
38					Gatka	25	0.71	2.24	1.59	80	₹ 126.87
39	Narender Thakur	16/26.05.2022	21	01.03.2022	Crusher	55	1.56	1.52	2.37	80	₹ 189.33
40	Narender Thakur	18/26.05.2022	23	30.03.2022	Crusher	490	13.88	1.52	21.09	80	₹ 1,687.44
41					Sand	245	6.94	1.62	11.24	80	₹ 899.16
42	Narender Thakur	20/26.05.2022	24	10.04.2022	Crusher	300	8.50	1.52	12.91	80	₹ 1,033.11
43					Sand	150	4.25	1.62	6.88	80	₹ 550.54
										Total	₹ 62,304.74
										Panelity @ 25 %	₹ 15,576.19
										कुल राशी	₹ 77,880.93

Technical Assistant
Gram Panchyat...
Development Block Bhawarna

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत आरठ झिकली द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹ 9.92 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

अनुदान शीर्ष : मनरेगा									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक		मद का नाम	मात्रा	दर	राशि GST सहित	टिप्पणी
1	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	058	19.02.2022	Crusher	860	44.00	₹ 37,840.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया।
2	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	059	19.02.2022	Sand	430	47.00	₹ 20,210.00	
3	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	074	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
4	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	085	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
5	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	060	19.02.2022	Crusher	1100	44.00	₹ 48,400.00	
6	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	061	19.02.2022	Sand	550	47.00	₹ 25,850.00	
7	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	076	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
8	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	086	24.02.2022	Cement Carriage	90	35.00	₹ 3,150.00	
9	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	052	19.02.2022	Crusher	520	44.00	₹ 22,880.00	
10	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	053	19.02.2022	Sand	260	47.00	₹ 12,220.00	
11	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	084	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
12	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	075	24.02.2022	Cement Carriage	70	35.00	₹ 2,450.00	
13	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	070	19.02.2022	Crusher	600	44.00	₹ 26,400.00	
14	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	071	19.02.2022	Sand	300	47.00	₹ 14,100.00	
15	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	079	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
16	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	089	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
17	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	056	19.02.2022	Crusher	500	44.00	₹ 22,000.00	
18	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	057	19.02.2022	Sand	250	47.00	₹ 11,750.00	
19	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	081	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
20	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	091	24.02.2022	Cement Carriage	80	35.00	₹ 2,800.00	
21	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	054	19.02.2022	Crusher	500	44.00	₹ 22,000.00	
22	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	055	19.02.2022	Sand	250	47.00	₹ 11,750.00	
23	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	073	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
24	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	083	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
25	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	062	19.02.2022	Crusher	560	44.00	₹ 24,640.00	
26	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	063	19.02.2022	Sand	280	47.00	₹ 13,160.00	
27	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	077	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
28	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	087	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
29	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	064	19.02.2022	Crusher	560	44.00	₹ 24,640.00	
30	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	065	19.02.2022	Sand	280	47.00	₹ 13,160.00	
31	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	078	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
32	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	088	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
33	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	066	19.02.2022	Crusher	560	44.00	₹ 24,640.00	
34	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	067	19.02.2022	Sand	280	47.00	₹ 13,160.00	
35	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	072	23.02.2022	Shuttering	200	15.00	₹ 3,000.00	
36	Narender Thakur	Nil/21.05.2022	082	24.02.2022	Cement Carriage	75	35.00	₹ 2,625.00	
37	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	019	18.05.2023	Crusher	1300	48.00	₹ 62,400.00	
38	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	018	18.05.2023	Sand	650	53.00	₹ 34,450.00	
39	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	329	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
40	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	020	18.05.2023	Shuttering	200	19.00	₹ 3,800.00	
41	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	021	18.05.2023	cement carrige	100	38.00	₹ 3,800.00	
42	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	035	18.05.2023	Crusher	460	48.00	₹ 22,080.00	
43	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	034	18.05.2023	Sand	230	53.00	₹ 12,190.00	
44	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	333	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
45	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	036	18.05.2023	Shuttering	180	19.00	₹ 3,420.00	
46	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	037	18.05.2023	cement carrige	62	38.00	₹ 2,356.00	

Technical Assistant
Gram Panchyat.....आरठ झिकली/24
Development Block Bhawarna

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवा...

38

47	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	031	18.05.2023	Crusher	440	48.00	₹ 21,120.00	
48	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	030	18.05.2023	Sand	220	53.00	₹ 11,660.00	
49	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	332	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
50	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	032	18.05.2023	Shuttering	180	19.00	₹ 3,420.00	
51	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	033	18.05.2023	cement carrige	60	38.00	₹ 2,280.00	
52	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	011	18.05.2023	Crusher	500	48.00	₹ 24,000.00	
53	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	010	18.05.2023	Sand	250	53.00	₹ 13,250.00	
54	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	327	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
55	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	012	18.05.2023	Shuttering	180	19.00	₹ 3,420.00	
56	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	013	18.05.2023	cement carrige	65	38.00	₹ 2,470.00	
57	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	027	18.05.2023	Crusher	480	48.00	₹ 23,040.00	
58	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	026	18.05.2023	Sand	240	53.00	₹ 12,720.00	
59	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	331	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
60	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	029	18.05.2023	Shuttering	160	19.00	₹ 3,040.00	
61	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	015	18.05.2023	Crusher	480	48.00	₹ 23,040.00	
62	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	014	18.05.2023	Sand	240	53.00	₹ 12,720.00	
63	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	328	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
64	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	016	18.05.2023	Shuttering	185	19.00	₹ 3,515.00	
65	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	017	18.05.2023	cement carrige	60	38.00	₹ 2,280.00	
66	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	336	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
67	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	337	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
68	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	338	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
69	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	043	18.05.2023	Crusher	460	48.00	₹ 22,080.00	
70	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	042	18.05.2023	Sand	230	53.00	₹ 12,190.00	
71	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	335	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
72	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	044	18.05.2023	Shuttering	180	19.00	₹ 3,420.00	
73	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	045	18.05.2023	cement carrige	60	38.00	₹ 2,280.00	
74	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	039	18.05.2023	Crusher	480	48.00	₹ 23,040.00	
75	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	038	18.05.2023	Sand	240	53.00	₹ 12,720.00	
76	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	334	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया।
77	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	040	18.05.2023	Shuttering	180	19.00	₹ 3,420.00	
78	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	041	18.05.2023	cement carrige	65	38.00	₹ 2,470.00	
79	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	023	18.05.2023	Crusher	430	48.00	₹ 20,640.00	
80	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	022	18.05.2023	Sand	215	53.00	₹ 11,395.00	
81	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	330	18.05.2023	Displar board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
82	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	024	18.05.2023	Shuttering	170	19.00	₹ 3,230.00	
83	Narender Thakur	Nil/07.11.2023	025	18.05.2023	cement carrige	60	38.00	₹ 2,280.00	
84	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	410	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
85	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	408	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
86	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	405	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
87	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	404	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
88	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	406	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
89	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	411	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
90	Rishi Kumar	Nil/07.11.2023	409	09.09.2023	Display board	1	3000.00	₹ 3,000.00	
		अनुदान शीर्ष : VKVNY							
91	Narender Thakur	13/26.05.2022	22	04.03.2022	Crusher	250	44.00	₹ 11,000.00	
92					Gatka	25	42.00	₹ 1,050.00	
93	Narender Thakur	16/26.05.2022	21	01.03.2022	Crusher	55	44.00	₹ 2,420.00	
94	Narender Thakur	18/26.05.2022	23	30.03.2022	Crusher	490	44.00	₹ 21,560.00	
95					Sand	245	52.00	₹ 12,740.00	
96	Narender Thakur	20/26.05.2022	24	10.04.2022	Crusher	300	44.00	₹ 13,200.00	
97					Sand	150	52.00	₹ 7,800.00	
							कुल जोड़	₹ 9,92,356.00	

Technical Assistant
Gram Panchyat....Arth Jhikli....
Development Block Bhawarna

सचिव
ग्राम पंचायत आरठ झिकली
विकास खण्ड भवारना